न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 96/2012

1 सांवरमल उर्फ सांवरा पुत्र रूघनाथ जाति मीणा निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र रूघनाथ।
2 बनवारी पुत्र रूघनाथ समस्त जाति मीणा निवासीगण पिपराली तहसील व जिला सीकर।
3 लैण्ड रेवेन्यू इन्चार्ज तहसीलदार तहसील व जिला सीकर।
4 उप पंजियक अधिकारी सीकर तहसील व जिला सीकर।
5 पटवारी पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर।
6 पप्पू पुत्र सुल्तान जाति मीणा निवासी पिपराली जिला सीकर।
7 अणची देवी पत्नी सुल्तान जाति मीणा निवासी पिपराली जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय डिकी दिनांक 18.01.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर मुकदमा नम्बर 51/2010 बउनवानी अणची देवी बनाम जगदीश आदि।

उपस्थिति :

1. श्री पुरूषोतम शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 1-2-24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 51/2010 में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत उद्घोषणा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय का प्रस्तुत किया था कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त रिकार्डेड खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 887 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888 रकबा 4.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 897 रकबा 1.10 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 898 रकबा 0.92 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 6.17 हैक्टेयर वाके ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें अपीलांट एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/3,1/3 हिस्सा हक अधिकार के मुताबिक कायम चला आ रहा है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 आपस में सगे भाई है। जिनका उपर वर्णित उक्त खसरा नम्बरान भूमि में बराबर बराबर का हक, अधिकार, कब्जा काश्त कायम चला आ रहा है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 के मध्य करीब 20 वर्ष बाहमी बंटवारा भी किया हुआ था। जिसके तहत ही वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपने अपने हक, हिस्से की भूमि की अलग अलग नींव सींव कायम करके अलग–अलग काश्त करते चले आये है एवं वादी/अपीलांट जो कि अपने हक हिस्से की भूमि को अपनी अथक मेहनत एवं परिश्रम से काफी उपजाऊ बना रखी है। इसी दौरान रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 ने वादी से अनावश्यक द्वेषता रखने की मंशा से

रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 आपस में साज करके वादी को उसके हक, हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कुचेष्टा के मध्यनजर एवं सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने की धमकी देने के मध्यनजर वादी ने वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। उक्त वाद का विचारण न्यायालय के समक्ष सांवरा बनाम जगदीश वगैरह मुकदमा नम्बर 57/2010 दर्ज करके अन्य प्रकरण मुकदमा नम्बर 51/2010 उनवानी प्रकरण अणची आदि बनाम जगदीश आदि के साथ कन्सोलेटेड किया जाकर ने बाद कार्यालय रिपोर्ट वादग्रस्त खसरा नम्बर भूमि की मौके की स्थिति व बंटवारा हेतु कब्जा काश्त की रिपोर्ट हेतु तहसीलदार सीकर को तहरीर प्रेषित की थी एंव बंटवारा प्रस्ताव बाबत प्राथमिक डिक्री जारी किया गया। जिसके तहत तहसीलदार सीकर द्वारा वादी/अपीलांट को बिना कोई सूचना दिये मात्र पटवारी की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर बिना मौके पर गये प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के प्रभाव में आकर वादग्रस्त भूमि की गलत मौका रिपोर्ट तैयार करके विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें गलत रूप से दो अन्य वारिसों अणची व पप्पू का कब्जा मानकर गलत हिस्सा रिपोर्ट आदि का अंकन करके मिथ्या रिपोर्ट करकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने बिना समुचित गौर व जांच किये एवं सन्दर्भ में दो अन्य व्यक्ति अणची एवं पप्पू के नाम की उक्त भूमि दर्ज करने के आदेश बिना किसी उचित आधार पारित किये है। जो तथ्य एवं विधि की सख्त भूल करते हुये फाईनल डिक्री उसके मुताबिक जारी की है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने एक निराधार रिपोर्ट एंव बिना वाद के पक्षकार व्यक्तियों के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित किया है एवं उसके नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करने के आदेश दिये है जो कि न तो वाद कि कहीं सहायता का बिन्दू है और ना ही ऐसा कोई अनुतोष किसी पक्षकार द्वारा चाहा गया है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री के सन्दर्भ में मौके की स्थिति कब्जे काश्त के मुताबिक रिकार्ड पर लिये जाने व मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में तैयार करने बाबत तहसीलदार सीकर को आदेश दिये गये थे लेकिन तहसीलदार अन्य विरोधी लोगों के प्रभाव व दबाव में आकर बिना मौके पर कब्जे काश्त की बिना जांच किये गलत रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिकुल कब्जा काश्त प्रस्तुत किया है। इसके बाद भी विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने ही फाईनल डिक्री जारी करके चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है जो किसी भी तरह से स्थिर रहने योग्य नहीं हैं। जबकि अणची जो कि अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद सुलतान से पूर्नविवाह करीब 40 वर्ष पूर्व करके चली गई थी व सुलतान से अणची के पप्पू का जन्म हुआ है। जिसके अपीलांट के पिता की सम्पति में कोई हक, अधिकार एवं कब्जा नहीं है। तहसीलदार व पटवारी हल्का की विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.10.2011 मौके की स्थिति के बिलकुल विपरित व मनगढन्त बनायी गयी थी। जिसमें अपीलांट का 1/3 हिस्से को बिना किसी आधार के कम करके अन्य व्यक्ति अणची एवं पप्पू के कब्जे काश्त में भूमि होना अपनी रिपोर्ट में लिखा है जबकि इनका वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा एवं स्वामित्व कायम नहीं है एवं जो रिपोर्ट तैयार की है उस समय अपीलांट को न तो मौके पर बुलाया और ना ही किसी तरह का कोई सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलांट को वादग्रस्त भूमि अपने पिता की मृत्यु के बाद विरासत मे नामान्तकरण खोलकर खातेदारी में दर्ज किया है। विरासत का नामान्तकरण संख्या 701 दिनांक 07.12.1968 आज भी निर्बाध एवं प्रभावी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.10.2011 अपीलांट के जानकारी व सहमती के बाहर होने से भी पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा तलबी पूर्ण करने से पूर्व ही प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई है। इसके उपरान्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस जारी नही किये गये है। विभाजन प्रस्ताव भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये है। इस तथ्य की पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार के पत्र दिनांक 11.10.2011 से होती है। इसमें तहसीलदार स्वंय ने विभाजन प्रस्ताव भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार करना अंकित किया है। विधि अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु समक्ष प्राधिकारी नही है। स्पष्ट है कि प्रकरण में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 1-2-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर